निविदा की शर्तें :–

1. प्रत्येक निविदा सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए। निविदा लिफाफे पर निविदाकार को अपना GST नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा तथा स्पष्ट करना होगा की निविदा किस–किस सब्जी हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

2. निविदा दो लिफाफें में प्रस्तुत की जावेगी। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससें छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरें लिफाफे में निविदा पत्र तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससें छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरें लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले को खोला जायेगा अन्यथा निरस्त कर दिया जायेगा।

3. प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, फर्म का लेटर पेड जिसमें फर्म का पूर्ण पता, GST रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. **आयकर रिटर्न 02 वर्ष** (2020–21 एवं 2021–22) एवं **पेन कार्ड** तथा **आधार कार्ड** की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।

5. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र एवं अपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहें हो, उसका प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।

6. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का लायसेंस निविदा के साथ संलग्न करें।

7. छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।

8. अखबार में प्रकाशित निविदा की पेपर कटिंग निविदा के साथ संलग्न करें।

9. निविदा फार्म क्रय की रसीद निविदा के साथ संलग्न करें।

10. प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 03 प्रतिशत् सुरक्षा निधि छ.ग. भण्डार क्रय नियम व छ.ग. जेल नियमावली के अनुसार जमा करना होगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर असफल निविदाकार की राशि 15 दिवस में लौटा दी जायेगी। प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त हैं, उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने की छूट दी जायेगी। इन इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ देने पर छूट दी जायेगी।

11. सफल निविदाकार से सुरक्षा निधि की राशि के अतिरिक्त जेल पूर्ति नियम 1968 के नियम 10 (ग) के अनुसार शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में 10 प्रतिशत् प्रतिभूति भी प्राप्त किया जाना होगा ताकि आपूर्ति कर्ता के बीच में प्रदाय न किये जाने पर आपूर्ति बाधित न हो।

12. सुरक्षा निधि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षा निधि चालान से लेखा शीर्ष 8443 सिविल जमा राशि 103 – प्रतिभूति जमा शासकीय खजाना में/उप खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहाँ शासकीय नगद लेन–देन का कारोबार होता है, में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत करना होगा अथवा निविदाकार चाहे तो भारतीय स्टेट बैंक, अनुसूचित बैंकों को FDR के द्वारा ही जेल अधीक्षक जिला जेल रामानुजगंज के नाम से प्लेज हो सुरक्षा निधि जमा किया जा सकता है।

13. ताजी सब्जियां बंदियों की संख्या के अनुसार प्रतिदिन ली जावेगी। नियत समय तक सब्जियां प्राप्त नहीं होने पर प्रदायकर्त्ता को किसी भी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सब्जियां बाजार से क्रय कर ली जायेगी एवं शासन की हानि की पूर्ति के लिए संबंधित व्यापारियों की धरोहर की राशि से काट ली जायेगी तथा निविदाकार एवं उसकी फर्म को इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जायेगा।

14. जेल अधीक्षक क्रय समिति की अनुशंसा पर क्रय हेतु बाध्य नहीं है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात् यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट हैं तो क्रय की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त कर सकता है। जेल अधीक्षक यह भी देखेगा कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है के बारे में यह सुनिश्चित करेगा की उसके पास कार्य ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है। भण्डारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निरीक्षण भी कर सकता है। इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जायेगी कि उनका प्रदाय क्रेता विभाग के निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

15. निविदा विहित फार्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित जानकारी **रूपये– 2000/–** का भुगतान करने पर कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल रामानुजगंज से कार्यालयीन दिवस को प्रातः 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक दिनांक 27.09.2022 तक प्राप्त की जा सकती है।

16. निविदायें दिनांक 28.09.2022 के पूर्वान्ह 11:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। निविदायें कार्यालयीन समय में केवल जेल कार्यालय में ही ग्रहण की जावेगी। वे किसी अधिकारी/कर्मचारी के निवास स्थान पर ग्रहण नहीं की जावेगी।

17. निविदा, उपस्थित निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को अपरान्ह 4:00 बजे खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

18. प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जावेगा। निविदाकार को सब्जियों का प्रदाय जेल गेट पर स्वयं के खर्चे से करना होगा। सब्जियों का परीक्षण जेल गेट पर किया जायेगा। निर्धारित मापदंड के अनुरूप सब्जियां नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत सब्जियां प्रदायकर्ता फर्म को अपने स्वयं के व्यय से तुरंत वापस ले जाना होगा।

19. सफल निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शाये गये सब्जियों के भाव दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक अथवा अगले वर्ष 2023–24 के वार्षिक ठेके तक जो भी प्रथम हो प्रभावशील रहेगा।

20. सब्जियों की मात्रा अनुमानित है एवं उससे अधिक या कम करने का अधिकार जेल अधीक्षक, जिला जेल रामानुजगंज का होगा।

21. निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में पत्राचार नहीं किया जावेगा। समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक (अध्यक्ष, जेल क्रय समिति) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदाकारों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

22. प्रत्येक निविदाकार को सब्जियों का भाव अंकों एवं शब्दों में लिखना होगा। काट पीट एवं ऊपरी लेखन मान्य नहीं होगा। निविदा में बोरे आदि की दरें नहीं जोड़ी जावेगी। सब्जियों का वास्तविक मूल्य ही अंकित किया जावे।

23. निविदाओं का अनुमोदन महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जावेगा। महानिदेशक जेल का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को अमान्य करेंगें, यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

24. निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।

25. निविदाकार का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है का स्पष्ट पता जहां से सब्जियों का प्रदाय करेगा, का उल्लेख लैटर पैड में करेगा, जिससे क्रय अधिकारी व्यापारिक संस्था का निरीक्षण कर सकें।

26. निविदाकार को करारनामा 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर 01 दिवस के अंदर जमा करना होगा। करारनामा विधिवत् निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जायेगा।

4.9.2022

जेल अधीक्षक
जिला जेल रामानुजगंज(छ.ग.)